भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1863
दिनांक 06.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई–माइग्रेट पोर्टल की प्रभावशीलता

1863. **श्री पी. पी. चौधरीः**
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः
श्री यदुवीर वाडियारः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से अप्रवासन प्रक्रिया को आसान, सुव्यवस्थित और मानवोचित बनाने में ई–माइग्रेट परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके क्या लाभ हैं;

(ख) क्या सरकार ने अप्रवासन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में ई–माइग्रेट पोर्टल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें हुए प्रमुख सुधार क्या हैं;

(ग) ई–माइग्रेट के माध्यम से इसकी शुरुआत से लेकर आज तक प्रदान की गई अप्रवासन मंजूरी की कुल सख्या वर्ष–वार कितनी है तथा अप्रवासियों की देश–वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या पोर्टल की कार्यप्रणाली या इससे जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या पोर्टल की विशेषताओं और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके भविष्य के उन्नयन की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) से (ग) उत्प्रवास आवश्यक जांच(ईसीआर) पासपोर्ट धारक और 18 अधिसूचित ईसीआर देशों में से किसी देश में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों के विदेशी रोजगार की प्रक्रिया ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है। वेब–आधारित एप्लिकेशन उत्प्रवास की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी, सुरक्षित, वैध, मानवीय, कुशल, सुविधाजनक और तीव्र बनाता है । यह विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को सुचारू रूप से एक साझा मंच पर ले आता है और विदेश मंत्रालय को व्यापक और ऑनलाइन डाटाबेस तैयार

करने में सक्षम बनाता है। प्रवासियों और अन्य हितधारकों को किसी भी प्रश्न/समस्या के समाधान हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली भी उपलब्ध है। नौकरी के फर्जी प्रस्तावों और धोखाधड़ी/अवैध भर्ती एजेंसियों के बारे में परामर्शी/अलर्ट पोर्टल पर जारी किए जाते हैं। अक्टूबर 2024 तक पोर्टल पर कुल 3094 अवैध एजेंटों को अधिसूचित किया गया है।

14 अक्टूबर 2024 को एक अद्यतित, नवीनीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल ई–माइग्रेट–वी 2.0 पोर्टल का उद्घाटन किया गया। अन्य बातों के साथ–साथ, नवीनीकृत पोर्टल को दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं द्वारा दस्तावेजों के भंडारण और पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिलॉकर देश भर में 5 लाख से अधिक केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से उत्प्रवास संबंधी सेवाओं की डिलीवरी संभव बनाने के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी); अखिल भारतीय ई–गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए 'उमंग'; क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना सुलभ बनाने के लिए 'भाषिणी'; शून्य लेनदेन शुल्क के साथ एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान गेटवे के प्रावधान हेतु एसबीआईईपे; प्रवासियों की निर्बाध और व्यवधान मुक्त यात्रा के लिए आव्रजन ब्यूरो; पासपोर्ट के ई–सत्यापन के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल, अनिवार्य पीबीबीवाई पॉलिसी की खरीद के लिए बीमा कंपनियों आदि के साथ एकीकृत किया गया है।

ई–माइग्रेट मोबाइल ऐप भी पहली बार विकसित किया गया है, जो हितधारकों को पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिसमें आवेदन की स्थिति पर नज़र रखना, पंजीकृत और अपंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची प्राप्त करना, शिकायत दर्ज करना आदि शामिल हैं।

आज तक, प्रवासियों को लगभग 4 मिलियन उत्प्रवास अनापत्ति (ईसी) जारी की गई हैं और पोर्टल पर 2144 सक्रिय आरए और 2,83,714 एफई पंजीकृत हैं। 2014–2024 के दौरान दी गई उत्प्रवास अनापत्ति का वर्षवार और देशवार विवरण अनुबंध क में देखा जा सकता है।

(घ) पोर्टल कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है, जिसमें उपयोगकर्ताओं के लिए कई ऑनलाइन सुविधाएँ और जानकारी उपलब्ध हैं। धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पोर्टल के कामकाज की निगरानी एक समर्पित 24x7 तकनीकी टीम द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।

(ड.) नवीनीकृत ई–माइग्रेट एप्लीकेशन को नवीनतम प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। खतरों की वास्तविक समय निगरानी और रोकथाम के लिए 24x7 समर्पित नेटवर्क ऑपरेटिंग टीम (एनओसी) मौजूद है। नोडल सरकारी एजेंसी द्वारा नियमित रूप से एप्लीकेशन सुरक्षा और भेद्यता संबंधी मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी भेद्यता रोकथाम और इसे मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए एप्लीकेशन की नियमित सुरक्षा लेखा परीक्षा भी की जाती है।

अनुबंध–क

देश–वार उत्प्रवास अनापत्ति (ईसी) डाटा 2014–2024												
क्रमांक	**देश**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (01–12–2024 तक)
1	सऊदी अरब	330002	308380	165355	78611	72399	161103	44316	32845	178630	200713	155731
2	संयुक्त अरब अमीरात	224043	225718	163716	149962	112059	76112	17891	10844	33233	71688	100090
3	कुवैत	80420	66579	72384	56380	57613	45712	8107	10158	71432	48212	36088
4	कतर	75997	59384	30619	24759	34471	31811	8907	49579	30871	30683	22283
5	ओमान	51319	85054	63236	53332	36037	28392	7206	19453	31994	21336	22531
6	मलेशिया	22927	20908	10604	14002	16370	10633	2435	36	12836	15319	5390
7	बहरीन	14207	15623	11964	11516	9142	9997	4175	6383	10232	7376	8064
8	इराक	3054	1	0	0	0	162	759	935	1430	1599	2558
9	जॉर्डन	2133	2047	2742	2341	1941	3941	317	2386	2487	1187	2972
10	लेबनान	313	341	316	110	109	160	21	54	282	200	130
11	सूडान	255	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
12	अफगानिस्तान	127	70	0	0	0	2	0	0	0	0	0
13	लीबिया	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	थाईलैंड	53	10	1	0	6	24	10	1	3	4	10
15	इंडोनेशिया	29	6	1	10	10	0	1	0	3	0	2
16	यमन	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	दक्षिण सूडान	0	29	0	1	0	0	0	1	1	0	0
18	सीरिया	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	805005	784152	520938	391024	340157	368049	94145	132675	373435	398317	355851
